खण्ड-घ

जिला पंचायत, पीलीभीत

संशोधित उपनियम भवन मानचित्र

26 जून, 2024 ई0

सं0 542-43/तेईस-104(2022-23)उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा-239 (1) एवं 239(2) के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत पीलीभीत के नियन्त्रणाधीन व ग्रामीण क्षेत्रों मे संचालित बिल्डिंग बायलाज को नियमित एवं नियंत्रित करने हेतु संशोधित उपविधि बनायी गई है, जिसकी पुष्टि उक्त एक्ट की धारा-242 (2) के अन्तर्गत आयुक्त बरेली मण्डल, बरेली द्वारा की गई है, जो राजकीय गजट मे प्रकाशन की तिथि से लागू है, जो विज्ञप्ति संख्या 1116–19/इक्कीस–39–2013–14 दिनांक 30 सितम्बर, 2014 द्वारा प्रकाशित हुई है तथा वर्तमान मे प्रभावी है मे निम्न संशोधन जो स्वीकृति/राजकीय गजट में प्रकाशन उपरान्त पूर्व चालित दरों के स्थान पर प्रभावी होगी।

(ङ) नक्शे स्वीकृति की संशोधित दरे

(क) आवासीय भवन एवं शैक्षणिक भवन:–

जनपद पीलीभीत मे सभी तलो पर फर्श से ढके भाग पर दर 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी।

(क) संशोधित दर:– जनपद पीलीभीत में सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर दर 50 रुपये प्रति मीटर होगी।

(ख) व्यवसायिक एवं व्यापारिक भवन:– जनपद पीलीभीत मे सभी तलो पर फर्श से ढके भाग पर दर 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी।

(ख) संशोधित दर:– जनपद पीलीभीत मे सभी तलो पर फर्श से ढके भाग पर दर 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी।

(ग) (1) भूमि की प्लाटिंग:– भूमि को योजनाबद्व तरीके से विभिन्न आकार के प्लाटो मे बांटना।

Scanned with OKEN Scanner

(2) भूमि विकास:– भूमि पर योजनाबद्ध तरीके से पार्क, उद्यान बनाना, फार्म हाउस विकसित करना, नर्सरी लगाना, शादी बैंकट हॉल आदि।

(3) भूमि का उपयोग:– भूमि का विभिन्न प्रकार के सामानों के भण्डारण हेतु प्रयोग करना जैसे-निर्माण सामग्री, कंटेनर, ईंधन आर0सी0सी0 पाईप आदि।

(4) किसी परियोजना का ले-आउट प्लान (तलपट मानचित्र):– उपरोक्त (ग) (1)से (4) तक के अनुसार जनपद पीलीभीत में दर 10 रूपये प्रति वर्ग मीटर होगी ।

(4) किसी परियोजना का ले-आउट प्लान (तलपट मानचित्र) संशोधित दर:– उपरोक्त (ग) (1)से(4) तक के अनुसार जनपद पीलीभीत मे दर 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी।

(घ) पुराने भवन को ध्वस्त करने के पश्चात पुनः निर्माण करने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों के समान होगी।

(ङ) स्वीकृत भवन के नक्शे में संशोधन होने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें, नये भवन की दरों की एक चौथाई होगी।

(च) बेसमेन्ट, स्टिल्ट, पोडियम सेवा क्षेत्र व अन्य आच्छादित क्षेत्र की अनुज्ञा शुल्क में गणना की जायेगी।

(छ) यदि स्वीकृति के नवीनीकरण का आवेदन अनुज्ञा अवधि समाप्ति से पूर्व किया जाता है तो स्वीकृति के नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 10 प्रतिशत होगी। एक बार में अनुज्ञा की अवधि एक वर्ष व अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है। अनुज्ञा अवधि समाप्ति के पश्चात नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 50 प्रतिशत होगी।

(ज) उपविधियों के अनुसार जिला पंचायत ,से नक्शों की स्वीकृति के बिना निर्माण करने, किसी भूमि पर व्यवसाय करने, स्वीकृति नक्शे से इतर निर्माण करने अथवा जिला पंचायत भवन उपविधि की किसी धारा या उप धारा का उल्लंघन करने पर अर्थ-दण्ड के रूप में समझौता शुल्क (Compounding Fees) रोपित किया जयेगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) प्रस्तावित भवन अथवा ले-आउट प्लान (तलपट मानचित्र) पर परिस्थिति अनुसार कुल शुल्क की गणना का कम से कम 20 प्रतिशत से अधिकतम 50 प्रतिशत अतिरिक्त होगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) विभाग में जमा होने के उपरान्त पूर्व में निर्मित भवन के नक्शों की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। समझौता की कार्यवाही अधिनियम की धारा-248 में दी गई व्यवस्था से नियन्त्रित होगी।

(झ) जनपद पीलीभीत में पूर्णता प्रमाण-पत्र (Complection Certificate) जारी करने की दरें 10 रुपये प्रति वर्गमीटर होगी। ये दरें सभी तलों के कुल आच्छदित क्षेत्रफल पर लागू होगी।

(झ) **संशोधित दर**:– जनपद पीलीभीत में पूर्णतः प्रमाण-पत्र (Complection Certificate) जारी करने की दरें 20 रुपये प्रतिवर्ग मीटर होगीं। ये दरें सभी तलों के कुल आच्छादित क्षेत्रफल पर लागू होंगी।

(ण) जनपद पीलीभीत मे बाउन्ड्रीवाल स्वीकृति की दर 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी।

(ण) **संशोधित दर**:– जनपद पीलीभीत में बाउन्ड्रीवाल स्वीकृति की दर 25 रुपये प्रति मीटर होगी।

नोट–शुल्क निर्धारण हेतु भवन के सभी तलों पर फर्श के कुल क्षेत्रफल की गणना करनी होगी। जिला पंचायत, पीलीभीत के क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले/व्यवसायिक भवन के मालिको को संशोधित उपविधि की दरों में यदि किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर किसी भी कार्यालय दिवस में अपनी आपत्ति स्वयं या पंजीकृत/स्पीड पोस्ट डाक द्वारा कार्यालय जिला पंचायत पीलीभीत में दर्ज करा सकते हैं। निर्धारित समय अवधि समाप्त होने के पश्चात किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ह0) अस्पष्ट,
आयुक्त,
बरेली मण्डल, बरेली।

पी0एस0यू0पी0–20 हिन्दी गजट–भाग 3–2024 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

Scanned with OKEN Scanner